उपरोक्त दोनों सामग्री एक ही नेचर की हैं। दोनों के क्रय की स्वीकृति एक साथ ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गयी है। यदि दोनों की स्वीकृति एक साथ ली जाती तो लागत रू. 5.00 लाख हो जाता, जोकि राशि रू. 2.50 लाख से अधिक होने से म.प्र. भण्डार क्रय नियम की कंडिका-10.1.1 अनुसार उक्त का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिए था। इससे बचने के लिये भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से 02 पृथक-पृथक नस्ती में स्वीकृती कर क्रय किया गया। Financial Approval Sanction Order (With Product Details and Specification), Contract (With Product Details and Terms and Conditions) आदि दस्तावेज नहीं पाये गये है बिना Third Party Inspection Report के बिना गुणवता प्रमाण पत्र के सामग्री को क्रय एवं NABL Test Report जो कि टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के नियम शर्तो में उल्लेखित थी के बिना ही भुगतान किया जाना पाया गया है।

सामग्री क्रय में मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा नियम, 2018 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।

<u>प्रतिवाद उत्तर-08</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :-

"इस बिन्दु में जो आरोप लगाये गये है उसमें स्वयं श्रीमान के द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा 20.10.2023 को एफ.आर.पी यूरिनल शौचालय संख्या 8 को क्रय करने की स्वीकृति दी गयी है तथा 20.10.2023 को पृथक से एफ.आर.पी. यूरिनल शौचालय 8 नग को क्रय करने की स्वीकृति राशि रुपये 2,50,000/- की दी गयी है। इस संबंध में यदि उक्त दोनों नोटशीट का अवलोकन किया जावे तो मेरे समक्ष उक्त नस्ती प्रस्तुत नहीं की गयी और मुझसे किसी भी प्रकार का अनुमोदन नहीं करवाया गया ऐसी स्थिति मे उक्त खरीदी के संबंध में मुझे आरोपित नही किया जा सकता है तथा इस संबंध में नगर पालिका के अधिकारी/कर्मचारी ही जवाबदार है।"

विवेचना-08

श्री शफीक खान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सिवनी को एक ही दिनांक को दो पृथक-पृथक नस्ती तैयार कर 08-08 नग FRP यूरीनल नियम का उल्लंघन करते हुये क्रय करने के लिये आक्षेपित किया गया है।

आरोप के संबंध में श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा कहा गया है कि उक्त सामग्री क्रय संबंधी नस्ती मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये इसके लिये मुझे आरोपित नहीं किया जा सकता। प्रतिवाद उत्तर के आलोक में जांच प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत FRP Urinal क्रय संबंधी नस्ती का अवलोकन किया गया। नस्ती में अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं। आरोप श्री शफीक खान के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

<u>आरोप क्रमांक-09</u>

यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद, सिवनी द्वारा परिषद के विशेष सम्मिलन दिनांक 18.05.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 23 के द्वारा वर्ष 2023-24 के मरम्मत/संधारण कार्यो में लगने वाली स्ट्रीट लाइट हेतु विद्युत सामग्री क्रय किये जाने के सम्बंध में निर्णय लिया गया।

तद्क्रम में दिनांक 28.06.2023 को जेम पोर्टल के माध्यम से बिड लगाई गई। बिड में निम्न सामग्रियॉ दर्शाई गईः–

S.N	Description of Goods	Quantity	Parameter/ Specification रखा गया अथवा नहीं
1.	Power saver Tube 24 Watt.	4000 PCS	नहीं
2.	Power saver Choke 2x24 .	1000 PCS	नहीं
3.	Power saver Street Light Fixtures 2x24 Tape Roll GM.	100 NOS	नहीं
4.	Tape Roll GM	500 PCS	नहीं
5.	Wire 1.5 MM SC Alluminium	10000 FEET	नहीं
6.	Relay	5 NOS	नहीं
7.	Flood Light 150 Watt	13 NOS	नहीं
8.	Flood Light 200 Watt	12 NOS	नहीं
9.	Clamp	200 PCS	नहीं
10.	Power Saver Rod Holder	2000 PCS	नहीं

परीक्षण उपरांत निम्नांकित अनियमितताऐं किया जाना परिलक्षित हुआ।

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र. एफ 9–20/2021/अ–73 भोपाल, दिनांक 13.01.2023 में प्रावधानित किया गया है कि रूपये 5.00 लाख से अधिक की सामग्री जेम पोर्टल के मध्यम से खरीदा जाने पर जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य एक वर्ष में रूपये 5.00 लाख से अधिक है वहां उपरोक्त (स) के अतिरिक्त कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में अथवा जेम (GeM), www.mptenders.gov.in पर परामर्शदाताओं की रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन दिया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन कर निकाय के द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करवाया गया, यदि समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करवाया गया होता तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती तथा दरें कम प्राप्त होती व ऊंची दर पर सामग्री क्रय न करना पड़ता और न ही निकाय को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती।

Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure Procurement Policy Division, New Delhi ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 02.04.2019 एवं General Terms and Conditions of GeM 3.0 (Version 1.10). 2 (xi) Mandatory है, का विवरण इस प्रकार है –

(अ) किसी सामग्री को MRP से कम से कम 10 प्रतिशत कम दर पर क्रय किया जाना होता है।

परन्तु निकाय के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर MRP से 10 प्रतिशत कम दर पर सामग्री क्रय न कर ऊंची दर पर सामग्री क्रय किया जाना पाया गया, जिसके कारण निकाय को 10 प्रतिशत कम दर के मान से कम से कम राशि रूपये 1,60,855.00 की आर्थिक क्षति हुई है।

(ब) कम से कम 03 निर्माताओं अर्थात् निर्माता कम्पनियों को भी निविदा में भाग लेना Mandatory होता है।

परन्तु निकाय के द्वारा नियम का उल्लंघन कर, बिना किसी निर्माता कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करवाये सीधे सप्लायर से सामग्री ऊँची दरो पर क्रय किये जाने से निकाय

को लगभग राशि रू. 4,82,565.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी जाना परिलक्षित हुआ है।

(स) क्रय सामग्री पर सप्लायर को कम से कम एक वर्ष की गारंटी/वारंटी दिया जाना Mandatory होता है। परन्तु निकाय के द्वारा बिना गारंटी/वारंटी के सामग्री क्रय किया जाना पाया गया। जेम के नियमों का उल्लंघन कर सामग्री क्रय किया जाना पाया गया।

- निकाय में पदस्थ विद्युत कार्य के विशेषज्ञ विद्युत यंत्री (उपयंत्री) को बायपास कर, मेकेनिकल यंत्री (उपयंत्री) के माध्यम से, बिना किसी Technical Parameter निर्धारण के सामग्री क्रय किया जाना पाया गया है। निकाय द्वारा विद्युत कार्य के विशेषज्ञ विद्युत यंत्री को बायपास किए जाने से बिना किसी Technical Parameter / Specification के सामग्री क्रय किये जाने से मानक सामग्री क्रय न कर अमानक स्तर की सामग्री क्रय किए जाने तथा गंभीर अनियमितताएं कर निकाय को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना परिलक्षित हुआ है।
- Flood Lights 150 वॉट को क्रय किये जाने का उल्लेख बिड में किया गया है, परन्तु बिड में यह स्पष्ट उल्लेख नही किया गया कि Flood Lights 150W, LED सोडियम या मरकरी Luminaries with Total Rating Watts Min. and Total Lumens Min. और किस मापदण्ड व किस गुणवत्ता, किस बॉडी के मटेरियल की सामग्री खरीदा जाना है का स्पष्ट उल्लेख नही पाया गया।
- बिना Third Party Inspection Report के बिना गुणवता प्रमाण पत्र के, सामग्री को क्रय उपरांत भुगतान किया जाना पाया गया, यह गंभीर अनियमितता है।
- NABL Test Report लेना टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के नियम शर्तो में उल्लेखित था, के बिना ही भुगतान किया जाना पाया गया।
- Financial Approval, Sanction Order (With Product Details and specification), Contract (With Product Details and Term and Conditions) आदि दस्तावेज नस्ती में नहीं पाये गये।

इस प्रकार जेम पोर्टल के माध्यम से निकाय द्वारा बिना Technical Parameter के अधिक दरों पर नियमो का उल्लंघन कर सामग्री क्रय किये जाने से निकाय को लगभग राशि रू 4,82,565.00 की आर्थिक क्षति हुई है।

सामग्री क्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही में म.प्र. वित्त एवं लेखा नियम, 2018 एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।

<u>प्रतिवाद उत्तर–09</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि निकाय के द्वारा स्ट्रीट लाइट मरम्मत, संधारण विद्युत लाइट सामग्री क्रय करने की मांग वर्ष 2023–24 के लिये विद्युत लाइन मेन ने दिनांक 12.05.2023 को प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया तथा विद्युत यंत्री के द्वारा दिनांक 15.05.2023 को अपनी रिपोर्ट दी गयी कि स्ट्रीट लाइट पोलो पर साल भर मे मरम्मत, संधारण में लगने वाली विद्युत सामग्री की जानकारी सहित प्रस्तावित की जाकर सामग्री क्रय किये जाने की अनुशंसा की गयी थी तब इस पर दिनांक 18.05.2023 को परिषद का विशेष

सम्मेलन की बैठक आहूत की गयी जिसमे प्रस्ताव क्रमांक 23 में नगर मे मार्गीय प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत मरम्मत, संधारण कार्यों में लगने वाले विद्युत सामग्री के संबंध में प्रस्तुत विद्युत उपयंत्री की रिपोर्ट को रखा गया तथा विद्युत यंत्री की उक्त रिपोर्ट नोटशीट में ही स्पष्ट रुप से उपलब्ध है, जिसमे उनके द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है पर विचार किया गया और पी.आई.सी. की विशेष बैठक मे उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने के उपरांत लगने वाले अनुमानित व्यय रूपये 69,88,700/— के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाकर नियमानुसार सामग्री क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा उक्त प्रस्ताव के अनुसार निविदा समिति के द्वारा नोटशीट मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी क्योकि उन्होने मुझसे इस बाबत मे अनुमोदन चाहा गया था अतः लोकहित में मेरे द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रिया का पालन किये जाने के उपरांत क्रय संबंधी आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा उक्त अनुमोदन के उपरांत सभी अग्रिम कार्यवाही निविदा समिति तथा उसके अध्यक्ष को सम्पादित किया जाना होता है तथा निविदा जारी करने के उपरांत शासकीय नियमों के तहत प्रकाशन किया जाना परामर्शदाताओं की अभिव्यक्ति को आहूत किया जाना तथा निविदा के सभी कृत्यों का उत्तरदायित्व भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है तथा प्रथम निविदा जो आहूत की गयी थी। वह पर सात फर्म के द्वारा बिड डाली गयी थी किन्तु शर्ते पूरी न किये जाने एवं अधिक दर होने के कारण दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था तथा इसके उपरांत पी.आई.सी. की द्वितीय बैठक 04.08.2023 को भी उसका अनुमोदन करवा लिया गया था तथा दिनांक 24.08.2023 को पुनः विद्युत सामग्री क्रय किये जाने की बिड जैम पोर्टल पर अपलोड की गयी, जिसका बिड नंबर जीई एम/2023/बी/3870834, दिनांक 24.08.2023 बिड ओपनिंग दिनांक 08.09.2023 थी, जिसे 26.09.2023 को फायनेंसियल बिड खोली गयी, जिसमे तीन निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया तथा ऑनलाईन तुलनात्मक पत्रक के अनुसार एल 1 दर पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स बैहर, बालाघाट की रूपये 19,96,050/— प्राप्त हुयी तथा उक्त फर्म के द्वारा दिनांक 26.09.2023 एक लिखित पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि सामग्री का ब्रांड व स्पेसिफिकेशन के अनुसार सूर्या एवं बजाज कंपनी की रहेगी, जिसमे सेवर राड बजाज कंपनी, सेवर चेक सूर्या कंपनी, टेपरोल एंकर कंपनी, वायर एलकेक कंपनी, रिले सनफलेम कंपनी, फल्ड लाइट सूर्या कंपनी, सेवर क्लेमस एम एस की होंगी तथा दिनांक 26.9.2023 को निविदा समिति जिसमे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विद्युत यंत्री, आदि उपस्थित थे के द्वारा कम दर होने के कारण स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इसके उपरांत उसे पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 29.9.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 10 के रूप में रखा गया तथा पी.आई.सी. के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स बैहर जिला बालाघाट को विद्युत सामग्री की सप्लाई करने का ठेका प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया इस प्रकार अकेले मेरे द्वारा उक्त सप्लाई किये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है अपितु निविदा समिति के साथ साथ पी.आई.सी. के सदस्यों ने उक्त अनुमोदन किया गया है जिसमे लिये मुझे आरोपित नहीं किया जा सकता है चूंकि पी. आई.सी. के द्वारा अनुमोदन के उपरांत दिनांक 03.10.2023 को जो सप्लाई आदेश जारी किया गया था वह द्वितीय बार की बिड मे प्राप्त न्यूनतम दर रूपये 19,96,050/— को निगोशिएशन करने के उपरांत रूपये 16,08,550/— में प्रदाय किया गया है इस प्रकार रूपये 3,84,500/— की बचत निकाय को हुयी है इस प्रकार यह कहना कि निकाय को आर्थिक क्षति हुयी है पूर्णतः विधि विपरीत है तथा निकाय के द्वारा सामग्री ब्रांडेड कंपनी की प्राप्त हुयी जिसमे सूर्या कंपनी की टेस्ट रिपोर्ट नोटशीट के साथ संलग्न है।

यह कि प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र. एम 9–20/2021 अ–73, भोपाल, दिनांक 13.01.2023

का पत्र निकाय को अप्राप्त है तथा निकाय के द्वारा मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 30.10.2017 के क्रमांक एफ 1–42/2017/18–3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल) के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एंव कर्त्तव्य) नियम, 1998 के नियम 5(5) (12) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतदद्वारा क्रय की जाने वाली सभी सामग्री को जैम मे उपलब्ध एवं भारत सरकार के जैम के माध्मय से ही क्रय किये जाने प्राधिकृत करता है तथा उक्त प्रावधानो के अंतर्गत जैम प्लेस मे बिड के तहत क्रय की गयी है जिसमे जैम प्लेस गवर्नमेंट का ई–मार्केटिंग जैम प्लेस है जो कि जैम पोर्टल ऑल इंडिया में विक्रेताओं/निर्माताओं के द्वारा बिड पोर्टल पर प्रदर्शित होती है इस कारण पृथक से प्रकाशन कराये जाने का यदि कोई पत्र प्राप्त होता है तो ही उसका पालन किया जाना आवश्यक होता है तथा हमारे द्वारा शासन के निर्देशों का हमेशा से पालन किया जाते रहा है।

अ– शासन के फायनेंस रूल के अनुसार निकाय के द्वारा जो भी सामग्री मरम्मत संधारण के लिये क्रय की गयी है वह पूर्व वर्ष की दरों से मिलान तथा आस पास के निकायों में चल रही दर की तुलना मे काफी कम दरों पर सामग्री क्रय की गयी है तथा शासन के नियमों का पालन किया गया है।

ब– जैम पोर्टल बिड मे तीन निविदाकारों फर्म के द्वारा भाग लिया गया जो ऑनलाईन तुलनात्मक पत्रक मे दर्शित है जिसके अनुसार दर एल–1 न्यूनतम पाये जाने से कम दरों पर सामग्री मार्गीय प्रकाश व्यवस्था व जनहित को दृष्टिगत रखते हुये क्रय की गयी है।

स– जैम पोर्टल ई–मार्केटिंग प्लेस में सामग्री प्रदाता निर्माताओं के द्वारा सामग्री की गारंटी/वारंटी जैम पोर्टल पर दी जाती है, जो कि खराब होने पर सामग्री सफल ठेकेदार/फर्म के द्वारा बदलकर नई सामग्री उपलब्ध करायी जाती है जिसका पालन ठेकेदार द्वारा किया जाता है।

द– यह कि निकाय में पदस्थ विद्युत कार्य के लिये विद्युत यंत्री को बायपास कर मेकेनिकल यंत्री के माध्यम से बिना किसी टेक्नीकल पैरामीटर निर्धारण के सामग्री क्रय किया गया है यह प्रशासनीक कार्य व्यवस्था है, जिसके अनुसार कार्य निकाय के उपयंत्रीओं से करवाये जाने का उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है तथा इसमे अध्यक्ष का कोई रोल नही होता है ऐसी स्थिति में उक्त लगाये गये आरोप बे बुनियाद है तथा मेरे द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कोई कार्य नही किया गया है तथा नगर की जनता को मूलभूत सुविधाए पहुंचाने की दृष्टि से नगर के 24 वार्डो मे लगातार बरसात के मौसम में स्ट्रीट लाइट तेज आंधी व तुफान के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, की व्यवस्था करने और नगर की लाइट व्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से बचाने किया गया है क्योकि नगर में अंधकार होने से जन प्रतिनिधियों एवं नागरिकों के भारी आक्रोश की स्थिति होने के कारण जनहित मे पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से मेरे द्वारा कृत्य संपादित किये जाते रहे है।

यह कि जैम बिड नंबर जैम 2023/बी/3870834, दिनांक 24.8.23 में ऑनलाईन पोर्टल पर बिड में स्पष्ट है कि फल्ड लाइट 150 वाट 200 क्रय किया जाना है जो कि फोकस लाइट के अंतर्गत आती है जो कि सार्वजनिक कार्य, समारोह, चल समारोह आपातकालीन बाढ़ की स्थिति आदि में उपयोग की जाती है, का नियमानुसार उल्लेख है